कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट-गाजियाबाद

पत्रांकःआर–ए.सी.पी.अनु0 (कार्यक्रम) / 2024 दिनांकः जुलाई 26 ,2024

सेवा में,

श्री रूपेश चौहान,

डायरेक्टर, केचअप मीडिया इन्टरटेनमेंट प्र0 लि0,

ऑफिस प्लाट नं0 265, सैकेंड फ्लोर शक्तिखंड-4,

इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

मो0न0 9953328084

कृपया अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 17.07.2024 से 16.10.2024 तक हन्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम के प्रदर्शनी के आयोजन की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में उ0नि0 हरेन्द्र मलिक, थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद की आख्या के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्गत आदेश/निर्देश के अनुपालन में आयोजन करने के लिए सशर्त अनुमति दिये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्राप्त हुई है। उक्त के आधार पर आपको दिनांक 17.07.2024 से 16.10.2024 तक हन्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम के प्रदर्शनी के आयोजन की अनुमति निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती हैः–

- **दिनांक व समय:- दिनांक 17.07.2024 से 16.10.2024 तक समय रात्रि 10.00 बजे तक।**
- **स्थान:- इन्दिरापुरम हेबिटेट सेंटर, इन्दिरापुरम**
- **व्यक्तियों की संख्या- लगभग 100-150 लोग प्रतिदिन।**

उक्त विवरण के उपरांत कोई भिन्नता पाई जाती है, तो इस स्थिति में अनुमति स्वत ही : निरस्त समझी जायेगी व आयोजक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

2 . डी0जे0/लाउड स्पीकर आदि को ले जाते समय यह ध्यान रखा जाये किस रास्ते में पडने वाले बिजली के तारों से न टकराये और सार्वजनिक स्थान पर आते–जाते समय संगीत आदि नही बजाया जायेगा।

3 . आयोजक, आयोजन में अपने व्यय पर निजी वोलिनटियर द्वारा शान्ति व्यवस्था बनायी रखी जायेगी।

4 . आयोजक, ध्वनि प्रसारण मंत्रो का प्रयोग धीमी गति से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुसार ही करेगे व पर्वो के दौरान डी0जे0 / लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता के सम्बन्ध में मा उच्चतम न्यायालय एवं ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम-2000 यथा संशोधित प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन / रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र 55/45 डेसीबल एवं शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। अतः ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्रसारित गाईड लाइन (डेसीबल) के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेंगे।

.5 आयोजक, आयोजन के दौरान शराब पीकर अमार्यादित/अशिष्ट भाषा एवं शब्द का प्रयोग/हुड दंग नही करेगे। जिससे किसी व्यक्ति/जाति अथवा सम्प्रदाय की भावना को कोई ठेस पहुँचें।

.6 आयोजक द्वारा आयोजन से पूर्व आयोजन स्थल हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्था/व्यक्ति (जिसकी भूमि है) से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की स्वयं जिम्मेदारी होगी।

.7 कार्यक्रम स्थल पर यदि मेला/मनोरंजन इत्यादि का आयोजन किया जाता है तो इसके लिए आयोजक द्वारा मनोरंजन विभाग को सूचित कर मनोरंजन कर अदा करते हुए अनापत्ति प्राप्त की जायेगी तथा झूले आदि को लगाने के बाद उनकी नकनीकी जांच कराते हुए फिटनेस प्राप्त करनी होगी।

.8 आयोजक, आयोजन स्थल पर यदि कोई पंडाल आदि लगाया जाता है तो उसके लिए आयोजक द्वारा अग्नि सुरक्षा आदि के बचावो का पालन कर सम्बन्धित विभाग अग्निशमन विभाग, यातायात पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, पी0डब्लू0डी0,वन विभाग आदि को सूचित कर आयोजन से पूर्व अनापत्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

.9 सार्वजनिक स्थल/सड़क व सडक के किनारे पटरियों पर एवं पार्क आदि सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करते हुए टैन्ट इत्यादि नही लगाया जायेगा।

.10 आयोजक, अपने निजी व्यवस्था पर आयोजन स्थल के प्रवेश/निकासी गेट एवं पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्लोज सर्किट कैमरे (सी0सी0टी0वी0) लगाये जायेगे एवं पूरे कार्यक्रम स्थल की वीडियोग्राफी करवाने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

.11 आयोजक, आयोजन में ऐसा कोई कार्यक्रम भी आयोजित नही किया जायेगा। जिससे वहां पर आवासित/कार्यरत व्यक्तियों के साथ कोई अप्रिय घटना/दुर्घटना होने की सम्भावना हो। कार्यक्रम में यदि

कोई दुर्घटना आदि होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे। जिसकी क्षतिपूर्ति आपके स्तर से की जायेगी।

.12 आयोजक, भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव सहिता व धारा 144सी0आर0पी0सी0 का अक्षरशःअनुपालन करना होगा।

.13 किसी भी लोक सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने का पूर्ण उत्तदायित्व आयोजकका होगा एवं इसके सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

.14 आयोजक आकस्मिक दुर्घटनासे निपटने के लिए समुचित रूप से चिकित्सा सुविधा एवं एम्बलेंस मय कुशल चिकित्सको इत्यादि की व्यवस्था जीवन रक्षक दवाईयो एवं आवश्यक औषधि/दवाईयां/उपकरण सहित स्वयं करेगे।

.15 आयोजक, कार्यक्रम को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु अपने वालंटियर्स को तैनात करेगे।

.16 आयोजन स्थल पर ट्रैफिक व्यवस्था व आयोजन स्थल पर किसी भी धर्म/समुदाय आदि के विरूद्व कोई अशोभनीय बातें नही की जायें।

.17 आयोजक की तरफ कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार का कोई अश्लील संगीत नृत्य या अश्लील अंग प्रदर्शन व शस्त्र प्रदर्शन आदि नही किया जायेगा।

.18 आयोजक, आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था एवं मार्ग व्यवस्था दुरूस्त रखने की जिम्मेदारी स्वयं आयोजक की होगी तथा यात्रा के दौरान अति ज्वलनशील पदार्थो का प्रयोग न किया जाये।

.19 आयोजक, आयोजन स्थल पर अति ज्वलशील पदार्थो/वस्तुओ आदि का प्रयोग किसी भी स्थिति नही किया जायेगा।

.20 आयोजक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था स्वयं करेगे।

.21 आयोजक कार्यक्रम के दौरान प्रथम मेडीकल उपचार/फर्स्ट एड की व्यवस्था स्वयं समुचित रूप से रखी जानी होगी।

.22 आयोजक, आग लगने, सडक धसने, विद्युत आपदा आदि की अप्रिय घटना की सूचना, डायल–112, जिलाधिकारी आवास, गा0बाद नं0–0120–2820106 कार्यालय नं0–120–2824416, सिटी पुलिस कन्ट्रोल रूम साहिबाबाद के मो0नं0–9643204440,पुलिस कन्ट्रोल रूम–0120–2800750, अग्नि शमन केन्द्र, सैक्टर–1वैशाम्बी, गा0बाद केन्द्र नं0–120–2770686,0120–2777102, सी0एफ0ओ0नं0–9454418348, जिला पुलिस नियन्त्रण केन्द्र, गा0बाद नं0–120–2764999,मुख्य चिकित्साधिकारी गा0बाद नं0–101, नं0–9555666244 मुख्य विद्युत अभियंता/अधिकारी, गा0बाद मो0नं0–880096222,मुख्य लोक निर्माण अधिकारी(पी0डब्लू0डी0), वन विभाग की हेल्पलाईन नं0–120–6110433 गा0बाद को आदि तत्काल सूचना देन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।

23आयोजक, कार्यक्रम में कोई नई परम्परा प्रारम्भ नही करेगे।

.24 आयोजक गण यातायात पुलिस, गाजियाबाद/मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि द्वारा निर्गत निर्देशों एवं गाईड लाईन का अनुपालन करेगे।

.25 आयोजक, आयोजन के दौरान आपातकालीन में निकट शांति गोपाल अस्पताल, अहिंसाखण्ड–2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के फोन नं0–120–4777000पर सम्पर्क कर मेडीकल उपचार की सुविधा निजी व्यय पर प्राप्त करेगे।

.26 आयोजक, किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, सम्प्रदाय विशेष के प्रति अभद्र भाषा, अश्लील टिप्पणी/नारेबाजी फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम आदि पर अपलोड अथवा आदान–प्रदान नही किया जायेगा।

.27 आयोजक की तरफ से यातायात आदि बाधित किये जाने की स्थिति स्वतः ही अनुमति निरस्त समझी जायेगी।

.28 उक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय दी गयी अनुमति निरस्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार सुरक्षित रहेगा। साथ ही दोषी पाये जाने पर कडी कार्यवाही भी की जायेगी।

29 कार्यक्रम संचालक का स्वंय यह दायित्व होगा कि वह संबंधित विभागों से व्यक्तिगत रूप से अनापत्ति पत्र प्राप्त करके मुझ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 02 दिवस पूर्व प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत न कराये जाने की दशा में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत अनुमति स्वत: ही निरस्त समक्षी जाएगी।

30. कोविड माहमारी के सम्बन्ध में माहमारी अधिनियम के तहत् माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं शासन से जारी की गई गाईड लाईन के अनुपालन कर समस्त व्यवस्थाएं प्रार्थी/आयोजक द्वारा स्वयं निजी व्यय पर की जायेगी।

उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर व उक्त विवरण में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो अनुमति स्वत : ही निरस्त समझी जायेगी व आयोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

26/07/24

सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम
कमिश्नरेट, गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गा0बाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2– नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– पुलिस उपायुक्त, ट्रास हिन्डन, कमिश्नरेट, गा0बाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4– मुख्य चिकित्साअधिकारी, गा0बाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– मुख्य विद्युत अभियंता, राजनगर निकट कचहरी परिसर, गा0बाद।
6– सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद जोन, पता एफ–06, प्रथम तल पटेल, नगर तृतीय, गाजियाबाद।
7– मुख्य वन अधिकारी, गाजियबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– मुख्य अभियंता, जल–कल निगम, गाजियाबाद के सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9– पुलिस उपायुक्त, यातायात, कमिश्नरेट, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
10–सहायक पुलिस उपायुक्त, यातायात, कमिश्नरेट, गा0बाद को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
11–अग्निशमन अधिकारी, अग्नि शमन केन्द्र, सैक्टर–1वैशाम्बी, गा0बाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12–निरीक्षक, यातायात, कमिश्नरेट, गा0बाद को यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु प्रेषित।
13–प्रभारी सिटी पुलिस कन्ट्रोम रूम, साहिबाबाद के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14–प्रभारी जिला नियन्त्रण कक्ष, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15– प्र0उपायुक्त राज्य कर(मनोरंजन कर), पता अनुभाग–305,306, कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद।
16–जिला मनोरंजन अधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17– थानाध्यक्ष इन्दिरापुरम गाजियाबाद को इस निर्देश प्रेषित कि उक्त शर्तो का शत–प्रतिशत अनुपालन कराये एवं मिश्रित आवादी वाले स्थानें पर सम्बन्धित चौकी प्रभारी समुचित पुलिस बल के मय समुचित उपकरणों के साथ उपस्थित रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करे। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य/सूचना हो तो तत्काल सर्व सम्बन्धित को अवगत कराये।

26/07/24

सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम
कमिश्नरेट, गाजियाबाद।